प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **140 / 2025** (अपील सूचना का अधिकार)
दीपक मीणा भू–अभिलेख निरीक्षक, खैरवाड़ा, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी खैरवाड़ा, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 15/10/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक प्रार्थना पत्र दिनांक 08.08.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/140/25/908–09 दिनांक 28.08.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी खैरवाड़ा द्वारा जरिये पत्रांक एफ1()/आरटीआई/2024/1769 दिनांक 06.10.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि श्री दीपक मीणा भू–अभिलेख निरीक्षक खैरवाड़ा के विरूद्ध सीसीए–17 के तहत प्रक्रियाधीन प्रकरण की सूचना चाही गई है। परन्तु उक्त सूचना के क्रम में निवेदन है कि सीसीए–17 का निर्णय ना होकर वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। उक्त सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(H) के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम से बाहर है। जिसके कारण उक्त सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना विभागीय कार्यवाही से संबंधित होकर प्रक्रियाधीन है। उक्त सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(H) के अंतर्गत देय नहीं है। जिसके संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 1192 दिनांक 14.08.2025 से अवगत करवाया जा चुका है। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर से संतुष्ट है। सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुये है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15-10-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर